

अधीनस्थ / मंत्रालयिक अधिकारियों / कार्मिक के लिए प्रपत्र-III (संदर्भ नियम-7)

कार्य मूल्याकांन प्रतिवेदन (वर्ष .....)

भाग -I (प्रतिवेदित) (REPORTEE) अधिकारी / कार्मिक के लिए

सेवा का नाम .....

1. नाम .....
- पुत्र/पुत्री/पति श्री .....
- जन्म तिथि ..... गृह जिला .....
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान पद तथा स्थान.....
- प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि दिनांक..... से दिनांक..... तक
- अवकाश/प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति की कालावधि दिनांक..... से दिनांक..... तक
- मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मुल्याकांन :—

क्र. सं.	मुख्य पारिणामिक कार्य (Key result areas)	निर्धारित लक्ष्य (Targets)	वास्तविक उपलब्धियाँ (Actual Achievements)	उपलब्धियों में कमी के कारण (कोई हो तो) एवं विशेष योगदान
1.	प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य	(i) .....	.....	.....
		(ii) .....	.....	.....
		(iii) .....	.....	.....
		(iv) .....	.....	.....
2.	प्रमुख विभागीय कार्यों के वित्तीय लक्ष्य	(i) .....	.....	.....
		(ii) .....	.....	.....
		(iii) .....	.....	.....
		(iv) .....	.....	.....
3.	निरीक्षण .....	.....	.....	.....
4.	मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम .....	.....	.....	.....
5.	अन्य .....	.....	.....	.....

टिप्पणी :— यदि विभागीय लक्ष्य नहीं हो तो संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण दिया जाए।

7. प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण (150 शब्दों से अधिक न हो) — कोई उपाबन्ध संलग्न नहीं किया जाए :—  
.....  
.....  
.....  
.....

प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत  
किए जाने का दिनांक : .....

प्रतिवेदित के हस्ताक्षर  
नाम व .....  
पदनाम .....

(प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा कोई उपाबन्ध संलग्न नहीं किया जाए)

**अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के लिए भाग – (प्रतिवेदक (REPORTING) अधिकारी के लिए)**

1. प्रतिवेदन अधिकारी की अभ्युक्तियाँ : (कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें, सही का निशान आदि नहीं)

क्र.सं.	मूल्याकंन का आधार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद
1.	कार्य परिणाम (Work Performance)					
2.	बुद्धिमता (Intelligence)					
3.	अनुशासन जिसमें समयपालन सम्मिलित हैं (Discipline including punctuality)					
4.	कर्तव्य परायणता (Devotion of duty)					
5.	कार्य निष्पादन में तत्परता (Promptness in disposal)					
6.	पहल करने में योग्यता (Ability to take initiative)					

2. (क) सामान्य मूल्याकंन :— अधिकारी के व्यक्तित्व, गुणों तथा दोषों, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्याकंन व समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारी के कार्यों का समग्र मूल्याकंन।

.....  
2. (ख) वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के लिए लिखित सलाह/भर्त्सना (यदि कोई हो) का संक्षिप्त उल्लेख :

.....  
2. (ग) क्या आप किसी अभ्युक्ति को प्रतिकूल मानते हैं ? यदि हाँ तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण भी देवें।

.....  
3. क्या प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के प्रति संवेदनशील है ? यदि नहीं तो कारण बतायें।

.....  
4. क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी/कार्मिक की सत्यनिष्ठा अथवा उसके द्वारा कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ?  
यदि हाँ तो उसके बारे में विवरण देवें। (हाँ / नहीं)

5. कॉलम सं. 1 व 2 में दी गई टिप्पणी के आधार पर प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक का समग्र मूल्याकंन (कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें)

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

टिप्पणी :— कृपया सुनिश्चित करें कि बिन्दु सं. 1 से 2 तक में की गई अभ्युक्तियों एवं बिन्दु सं. 5 में किये गये समग्र मूल्याकंन में एक रूपता हो। बिन्दु सं. 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होने पर बिन्दु सं. 5 में तदनुरूप ही समग्र मूल्याकंन किया जाए। यदि कहीं पर भी कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति हो तो समग्र मूल्याकंन भी असंतोषप्रद ही किया जाए।

समीक्षक प्राधिकारी को  
प्रस्तुत किये जाने का दिनांक : .....

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम.....  
पदनाम.....

### अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के लिए भाग – III (समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के लिए)

1. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गई अभ्युक्तियों के बारे में सामान्य टिप्पणी व समग्र मूल्याकंन करते हुए अभ्युक्तियाँ अंकित की जाएँ। यदि आप प्रतिवेदक अधिकारी से सहमत नहीं हो तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण देवें। ( टिप्पणी : निजी सहायकों/वैयक्तिक सचिवों के लिए यह भाग लागू नहीं होगा )
- .....  
.....  
.....  
.....  
.....

प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक का समग्र मूल्याकंन (कृपया उपर्युक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें)

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

टिप्पणी :-कृपया सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त विवरणात्मक अभ्युक्तियों एवं समग्र मूल्याकंन में एक रूपता हो। विवरणात्मक अभ्युक्तियों में कहीं पर भी प्रतिकूल अभ्युक्ति होने पर ही समग्र मूल्याकंन को असंतोषप्रद किया जाए।

स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत  
किए जाने का दिनांक : .....

समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम .....  
पदनाम.....

### भाग – IV (स्वीकारकर्ता (ACCEPTING) प्राधिकारी के लिए)

2. स्वीकारकर्ता प्राधिकारी की अभ्युक्तियाँ। यदि आप प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी से सहमत नहीं हो तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण देवें।
- .....  
.....  
.....  
.....

दिनांक : .....

(स्वीकारकर्ता (ACCEPTING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम .....  
पदनाम .....

## वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र – I, II, तथा III का परिशिष्ट (प्रपत्र का पृ. 4)

वर्ष .....(1 जनवरी .....को) के लिए प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पति का विवरण

1. अधिकारी / कार्मिक का नाम तथा ..... 3. किस सेवा संवर्ग है .....

पद जिससे वह संबंधित है .....

2. वर्तमान में धारित पद ..... 4. वर्तमान वेतन .....

उप जिला, उप-खण्ड, तहसील तथा गाँव का नाम जिसमें सम्पति स्थित है।	सम्पतियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमि अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएँ कि वह किसके नाम में धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है।	कैसे अर्जित की। यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकारी दान तथा अन्यथा रूप से अर्जित की गई हो तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है।	सम्पतियों से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....